

8/12
06-10-18 (3502)
C.E.(HA)

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-1
संख्या-64/111(1)/18-39(अधि)/2006
देहरादून, दिनांक 05 अक्टूबर, 2018

MD
108-10-18
EE-I

(1)

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत प्रख्यापित "उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग, अधीनस्थ अभियन्त्रण (कनिष्ठ अभियन्ता एवं अपर सहायक अभियन्ता सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिक) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2018 " की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड शासन।
12. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिकासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रुड़की (हरिद्वार) को नियमावली की हिन्दी/अंग्रेजी की प्रति को इस आशय से संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया नियमावली को असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड-क में मुद्रित कराकर इसकी 200 प्रतियां लोक निर्माण विभाग, अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1480
EE-I

10/10/18

54

10/10/18
EE-I

कार्यालय
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

आज्ञा से,
अमर प्रकाश
(अपर मुख्य सचिव)

पत्रांक 1165 एमए-हा0/18

दिनांक 10/10/2018

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग अधीनस्थ अभियन्त्रण (कनिष्ठ अभियन्ता एवं अपर सहायक अभियन्ता सिविल, प्राविधिक, विद्युत, तथा यांत्रिक) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2018 की प्रति सहित संलग्न एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को प्रचालित कराये जाने हेतु प्रेषित है।

संलग्न- यद्योपरि सेवा नियमावली-2018 :

- 1- समस्त मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, रा0मा0/ए0डी0वी0/पी0एम0जी0 ए0आई0सी0 वर्ल्ड बैंक - - -
- 2- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0 - - -
- 3- अधिकासी अभियन्ता, आई0टी0 विभागाध्यक्ष कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 4- प्रकीर्ण को/ सूचना प्रकोष्ठ को
- 5- गार्ड फाइल

1.T
upload करें
का 18

अधिकासी अभियन्ता (संशोधन)
विभाग, लोक निर्माण विभाग

(देवेन्द्र शाह)
अधिकासी अभियन्ता

15.10.18

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-1
संख्या- 1464 / 111(1)18-39(अधि0) / 2006
देहरादून. दिनांक 05-10 / 2018

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके "उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग, अधीनस्थ अभियन्त्रण (कनिष्ठ अभियन्ता सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिक) सेवा नियमावली, 2007" (समय-समय पर यथा संशोधित) में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग, अधीनस्थ अभियन्त्रण (कनिष्ठ अभियन्ता एवं अपर सहायक अभियन्ता सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिक) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2018

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

- (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग अधीनस्थ अभियन्त्रण (कनिष्ठ अभियन्ता एवं अपर सहायक अभियन्ता सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिक) नियमावली, 2018 है।
- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का
संशोधन

- उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग अधीनस्थ अभियन्त्रण (कनिष्ठ अभियन्ता सिविल, प्राविधिक विद्युत व यांत्रिक) सेवा नियमावली 2007 (जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्:

स्तम्भ- 1 (वर्तमान नियम)

भर्ती का स्रोत-5. (क) सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती उसी मानक के अनुसार 'सीधी भर्ती' तथा 'पदोन्नति' द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी, जो कि इस नियमावली के प्रख्यापन से ठीक पूर्व संगत नियमों/ शासनादेशों में विहित हो।

(ख) मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ अभियन्ताओं (सिविल, प्राविधिक, विद्युत एवं यांत्रिक) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा:

परन्तु यह कि अपर सहायक अभियन्ता (सिविल, प्राविधिक, विद्युत एवं यांत्रिक) के पद पर पदोन्नति कनिष्ठ अभियन्ता के कुल

स्तम्भ- 2 (एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम)

भर्ती का स्रोत-5. (क) (1) सेवा में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल/विद्युत/यांत्रिक) के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी, अर्थात्:

(अ) पच्चाणवे प्रतिशत लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(ब) पांच प्रतिशत विभाग में मौलिक रूप से नियुक्त समूह 'ग' के कर्मचारियों, जिन्होंने विभाग से अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् अथवा सेवा में आने से पूर्व नियम 8 में विहित अर्हताएँ अर्जित की हों और भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को विभाग में दस वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अपने- अपने संवर्ग के स्वीकृत पदों की संख्या के अनुपात में लोक सेवा आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

टिप्पणी:- अवर अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति के लिए संयुक्त पात्रता सूची निम्नलिखित मानकों के अनुसार तैयार की जायेगी:-

(एक) ऐसे अभ्यर्थी जिसने पूर्वतर शैक्षणिक सत्र में विहित

Paul

स्वीकृत पदों के सापेक्ष 85 प्रतिशत की सीमा तक ही की जायेगी।

अपर सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप कनिष्ठ अभियन्ता एवं अपर सहायक अभियन्ता के कर्तव्य एवं दायित्व समान होंगे तथा एक ही जॉब चार्ट के अधीन होंगे।

डिप्लोमा उत्तीर्ण किया है, पात्रता सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा:-

(दो) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों ने विहित डिप्लोमा समान शैक्षणिक सत्र में उत्तीर्ण किया हो तो ऐसा अभ्यर्थी जिसकी मौलिक नियुक्ति का दिनांक उसके संवर्ग में पूर्वतर हो, उसे पात्रता सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा;

(तीन) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों की मौलिक नियुक्ति का दिनांक भी एक समान हो जाये तो ऐसा अभ्यर्थी जिसकी अधिवर्षता का दिनांक पूर्वतर हो, को पात्रता सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा।

(11) सेवा में कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी, अर्थात:-

(अ) पचास प्रतिशत लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(ब) पचास प्रतिशत विभाग में मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मानचित्रकार (सिविल) के पद से जिन्होंने चयन वर्ष की प्रथम तिथि को सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, लोक सेवा आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

[ख] (1) मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ अभियन्ताओं (सिविल, प्राविधिक, विद्युत एवं यांत्रिक) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, को अपर सहायक अभियन्ता का नॉन फंक्शनल वेतनमान नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा अनुमत्य किया जायेगा। इस आधार पर अपर सहायक अभियन्ता (सिविल, प्राविधिक, विद्युत एवं यांत्रिक) नॉन फंक्शनल पद भरे जायेंगे।

परन्तु यह कि अपर सहायक अभियन्ता (सिविल, प्राविधिक, विद्युत एवं यांत्रिक) के नॉन फंक्शनल पद पर नियुक्ति कनिष्ठ अभियन्ता के कुल स्वीकृत पदों के सापेक्ष 85 प्रतिशत की सीमा तक ही की जायेगी।

अपर सहायक अभियन्ता के नॉन फंक्शनल पद भरे जाने के फलस्वरूप कनिष्ठ अभियन्ता एवं अपर सहायक अभियन्ता के कर्तव्य एवं दायित्व समान होंगे तथा एक ही जॉब चार्ट के अधीन होंगे।

(11) अपर सहायक अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिक) के नॉन फंक्शनल पद भरे जाने से पूर्व कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) को कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) के पद का 03 माह का प्रशिक्षण तथा कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) को कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) के पद का 03 माह का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से प्राप्त करना



होगा। सम्बन्धित संवर्ग के कनिष्ठ अभियन्ताओं में से अपने-अपने संवर्ग के स्वीकृत पदों के अनुपात में अपर सहायक अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिक) के नॉन फॉक्शनल के पद भरे जायेंगे, तदोपरान्त ज्येष्ठता नियमावली के आधार पर अपर सहायक अभियन्ता (विद्युत/ यांत्रिक) की एकल ज्येष्ठता सूची बनायी जायेगी।

नियम 8 का संशोधन

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ- 1 में दिये गये वर्तमान नियम 8 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्:-

स्तम्भ- 1 (वर्तमान नियम)

शैक्षिक अर्हताएं 8. अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा के अधीन कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर चयन हेतु किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/ पॉलीटेक्निक से सम्बन्धित शाखा में इंजीनियरिंग डिप्लोमा, यथा सिविल प्राविधिक विद्युत तथा यांत्रिकी में डिप्लोमा आवश्यक होगा।

स्तम्भ- 2 (एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम)

शैक्षिक अर्हताएं 8. (क) अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा के अधीन कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति तथा कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के पद पर सीधी भर्ती से चयन हेतु किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/ पॉलीटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आवश्यक होगा।

(ख) अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा के अधीन कनिष्ठ अभियन्ता विद्युत के पद पर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से चयन हेतु किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/ पॉलीटेक्निक से विद्युत इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आवश्यक होगा।

(ग) अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा के अधीन कनिष्ठ अभियन्ता यांत्रिक के पद पर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से चयन हेतु किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/ पॉलीटेक्निक से यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आवश्यक होगा।

नियम 21 का संशोधन

4. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान नियम 21 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्:

स्तम्भ- 1 (वर्तमान नियम)

स्थायीकरण 21. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति के परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त, में उसकी नियुक्ति में, स्थाई कर दिया जायेगा, यदि-

(क) उसका कार्य व आचरण संतोषजनक बताया जाए

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय और

(ग) उसने विहित प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो।

स्तम्भ- 2 (एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम)

स्थायीकरण 21. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में, स्थाई कर दिया जायेगा, यदि-

(क) उसका कार्य व आचरण संतोषजनक बताया जाए

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय और

(ग) उसने विहित प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और विभागीय परीक्षा यदि कोई हो, उत्तीर्ण की हो।

M. Prakash

(ओम प्रकाश)

अपर मुख्य सचिव।

(5)

In Pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. /III(1)/18-39(Establishment)/06, Dated 2018 for general information.

Government of Uttarakhand
Public Works Section – I
No. 1464 /III (1)/18-39 (Establishment)/2006
Dehradun, Date 05-10-2018

Notification
Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the "Constitution of India", the Governor is pleased to make the following rules with a view further to amend the Uttarakhand Public Works Department, Subordinate Engineering (Junior Engineer, Civil, Technical, Electrical and Mechanical), Service Rules, 2007 (as amended from time to time)

The Uttarakhand Public Works Department Subordinate Engineering (Junior Engineer and Additional Assistant Engineer Civil, Technical, Electrical and Mechanical) Amendment) Service Rules, 2018

Short title and commencement 1. (1) These Rules may be called the Uttarakhand Public Works Department Subordinate Engineering (Junior Engineer and Additional Assistant Engineer Civil, Technical, Electrical and Mechanical) (First Amendment) Service Rules, 2018.
(2) They shall come into force at once.

Amendment of Rule 5 2. In the Uttarakhand public works department subordinate Engineering (junior Engineer, civil, technical, electrical and mechanical) service Rules 2007 (hereinafter referred to as the principal rules), for existing rule 5 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted namely:-

Column –1 (Existing rule)

Column – 2 (Rule hereby substituted)

Source of recruitment 5.(A) The Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made through Public Service Commission in accordance with the norms prescribed for 'Direct Recruitment' and 'Promotion' in the rule/government orders in force just

Source of recruitment 5.[A] (I) The Recruitment to the post of Junior Engineer (Civil/Electrical /Mechanical) shall be made from the following sources namely-
(a) Ninety five percent by direct recruitment Through the Public Service Commission.

Ph...

before the publication of these rules.

(B) By promotion from amongst substantively appointed Junior Engineers (Civil, Technical, Electrical and Mechanical) Who have completed three year if service, as such, on rhe first day of the year of recruitment, on the basis of seniority subject to rejection of unfit.

Provided that promotion to the post of Additional Assistant Engineer (Civil, Technical, Electrical and Mechanical) shall be limited to 85 percent of total sanctioned posts of Junior Engineer.

Duty and responsibility will be same for Junior Engineer and Additional Assistant Engineer even after promotion to the post of Additional Assistant Engineer and will be under one job chart.

(b) Five percent in ratio of their cadre strength against sanctioned posts, by promotion through the Public service Commission from amongst such substantively appointed Group 'C' employees of the Department who either after obtaining the permission from the department or prior to comming in service, have acquired the qualification as prescribed in Rule 8 and have completed ten years substantive service in the Department on the first day of the recruitment year.

NOTE- The combined eligibility list for promotion on the post of Junior Engineer (Civil) shall be made as per the following norms:-

(i) The candidate who has passed the prescribed Diploma in earlier academic session shall be placed higher in the eligibility list,

(ii) If two or more candidate have passed the prescribed Diploma in the same academic session, the candidate whose date of substantive appointment in his respective cadre is earlier shall be placed higher in the eligibility list,

(iii) If the date of substantive appointment of two or more candidate is also same the candidate whose date of superannuation is earlier shall be placed higher in the eligibility list.

(II) Recruitment to the post of Junior Engineer (Technical) shall be made from the following sources namely:-

(a) Fifty percent by direct recruitment made through thePublic service Commission.

(b) Fifty percent by promotion through the public service Commission from amongst such substantively appointment Draftsman (Civil) who have completed seven years service on the first day of the recruitment year.

(B) (I) Such substantively appointed Junior Engineers (Civil, Technical, Electrical and Mechanical) who have completed three years satisfactory service as such on the first day of the recruitment year, shall be allowed non-functional pay scale of Additional Assistant

Patel

Engineer by the Committee constituted by the Appointing Authority. On this basis the non-functional posts of Additional Assistant Engineer (Civil, Technical, Electrical and Mechanical) shall be filled up.

Provided that appointment to non-functional posts of Additional Assistant Engineer (Civil, Technical, Electrical and Mechanical) shall be made only to the extent of 85 percent of the total sanctioned posts of Junior Engineers.

Consequent to filling up of non-functional posts of Additional Assistant Engineers, the duties and liabilities of the Junior Engineer and Additional Assistant Engineer shall be same and subject to one job chart.

(II) Prior to filling up of the non-functional posts of Additional Assistant Engineer (Electrical and Mechanical), Junior Engineers (Electrical) have to undergo three months training of the post of Junior Engineer (Mechanical) and Junior Engineers (Mechanical) have to undergo three months training of the post of Junior Engineer (Electrical) mandatorily. From amongst the Junior Engineers of the concerned cadre, non-functional posts of Additional Assistant Engineer (Electrical and Mechanical) shall be filled up in their respective cadre, in ratio of sanctioned post, thereafter single seniority list of Additional Assistant Engineer (Electrical / Mechanical) shall be prepared on the basis of seniority rules.

Amendment of Rule 8

3. In the principal Rules, for existing rule 8 set out in column 1 below, the Rule as set out in column 2 shall be substituted namely:-

Column -1 (Existing rule)

Column - 2 (Rule hereby substituted)

Academic Qualifications 8. For selection to the post of Junior Engineer under Subordinate Engineering Service, the candidate must have obtained an Engineering Diploma in the related branch such as Civil, Technical, Electrical and

Academic Qualifications 8. (A) For appointment through direct recruitment or promotion to the post of Junior Engineer (Civil) under Subordinate Engineering Service and for direct appointment to the post of Junior Engineer (Technical), the candidate must have obtained a Diploma in Civil Engineering from a

Prof

Mechanical from a recognized Institute/Polytechnic.

(B) For appointment through direct recruitment or promotion to the post of Junior Engineer (Electrical) under Subordinate Engineering Service, the candidate must have obtained a Diploma in Electrical Engineering from a recognized Institute/Polytechnic.

(C) For appointment through direct recruitment or promotion to the post of Junior Engineer (Mechanical) under Subordinate Engineering Service, the candidate must have obtained a Diploma in Mechanical Engineering from a recognized Institute/ Polytechnic.

Amendment of Rule 21

4. In The principal Rules for existing rule 21 set out in column 1 below, The rule as set out in colum 2 shall be substituted, namely:

Column -1 (Existing rule)


Confirmation 21. A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of his period of probation or extended period of probation if-

- (a) his work and conduct is satisfactory,
- (b) his integrity is certified, and
- (c) he has undergone in prescribed training.

Column - 2 (Rule here by substituted)

Confirmation 21. A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of his period of probation or extended period of probation if-

- (a) his work and conduct is satisfactory,
- (b) his integrity is certified, and
- (c) he has undergone the prescribed training and qualified the departmental exam, if any.



(OM PRAKASH)
Additional chief Secretary

(9)

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-1
संख्या-64/111(1)/18-39(अधि0)/2006
देहरादून, दिनांक 05 अक्टूबर, 2018

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत प्रख्यापित "उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग, अधीनस्थ अभियन्त्रण (कनिष्ठ अभियन्ता एवं अपर सहायक अभियन्ता सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिक) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2018 " की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड शासन।
12. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूडकी (हरिद्वार) को नियमावली की हिन्दी/अंग्रेजी की प्रति को इस आशय से संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया नियमावली को असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड-क में मुद्रित कराकर इसकी 200 प्रतियां लोक निर्माण विभाग, अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

Amrakash

(ओम प्रकाश)

अपर मुख्य सचिव।

ek